Government of Rajasthan
Finance Department
(Finance Commission & Economic Affairs Division)

NOTIFICATION

The following order made by the Governor is published for general information:-

ORDER

In pursuance of the provision of Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India and the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009 the Governor is pleased to constitute a State Finance Commission consisting of Shri Pradhyumn Singh, as the Chairman and the following other Members, namely: -

1	Shri Laxman Singh Rawat	**Member**
2	Shri Ashok Lahoti	**Member**

2. The Chairman and other members of the Commission shall hold office for a period of one and half year from the date of this notification.

3. The Commission shall review the financial position of the Panchayats at all levels and make recommendations as to:

(a) the principles which should govern:
   (i) the distribution between the State and the Panchayats at all levels of net proceeds of taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under Part-IX of the Constitution and allocation between Panchayats at all levels of their respective shares of such proceeds;
   (ii) the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Panchayats at all levels; and
   (iii) the grants-in-aid to the Panchayats at all levels from the Consolidated Fund of the State.

(b) the measures needed to improve financial position of the Panchayats.

4. The Commission shall also review financial position of the Municipalities at all levels and make recommendations as to:

(a) the principles which should govern:

(i) the distribution between the State and the Municipalities of net proceeds of taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under Part-IX-A of the Constitution and allocation between the Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;

(ii) the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Municipalities; and

(iii) the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the State.

(b) the measures needed to improve financial position of the Municipalities.

5. The Commission shall also suggest measures needed to strengthen the financial position of the Local Governments [Panchayats (at all three levels) and Municipalities] with special reference to:

(i) scope for better fiscal management consistent with the need for speed, efficiency, cost effectiveness of delivery of services;

(ii) upgradation of information technology system in running of affairs and delivery of services by Local Governments;

(iii) maintaining of online Accounting System and a proper fiscal data base linkage with Integrated Financial Management System (IFMS) relating to Local Governments;

(iv) achieving economy and efficiency in expenditure by the Local Governments;

(v) improving financial position of the Local Governments with special emphasis on rationalization of taxes and revenues, and user charges, collected by Local Governments with innovative methods;

(vi) possible new avenues for tapping resources in rural and urban local bodies keeping in mind the local body tax structure in other states;

(vii) improving quality of upkeep of assets owned by the Local Governments as well as those transferred to the Local Governments;

(viii) improving monitoring of fiscal performance of the Local Governments; and

(ix) examine feasibility and make recommendations on creation of infrastructure and other civic amenities by the Local Governments through PPP.

6. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to:

(i) financial resources of the State and demands thereon, on account of expenditure on Civil Administration, Police and Judicial Administration, Education, Maintenance of Capital Assets, Social Welfare, Debt Servicing and other committed expenditure or liabilities of the State Government and need to generate adequate surplus on revenue account for State's commitments on capital account and other commitments of the State Government;

(ii) adjustment of grants available to the Local Governments under the recommendations of the 15th Finance Commission in their resources;

(iii) revenue of the resources of the Local Governments for five years commencing from 01.04.2020 on the basis of level of collection made during preceding five years' taxes and revenues, and user charges, levied by the Local Governments;

(iv) fiscal transfers from the State Government to Local Governments based on net own tax receipts of the State in place of share in individual taxes; and

(v) a normative approach in the assessment of expenditure rather than making forecasts based on historical trends.

7. In making the recommendations on various matters, the Commission shall adopt the population of census 2011 in all cases where population is regarded as a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants-in-aid.

8. The Commission shall provide and indicate the bases on which it has arrived at its findings, estimates of receipts and expenditure of the Local Governments.

9. The Commission shall prepare its report on the basis of Templates suggested by the 13th Finance Commission of Government of India, with such modifications as may be necessary.

10. The Commission shall make its report (in English and Hindi) available on or before expiry of its term, on each of the matter aforesaid, covering a period of five years commencing from 1st April, 2020.

Sd/-
(Kalraj Mishra)
Governor of Rajasthan

12 April , 2021,
Jaipur

No.F6(1)FD/FC&EAD/SFC/2019

Jaipur, Dated: 12 April, 2021

(Akhil Arora)
Principal Secretary, Finance

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात डिविजन)

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:–

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–आई और 243–वाई तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो श्री प्रद्युम्न सिंह, अध्यक्ष तथा निम्नलिखित अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात:–

(1)	श्री लक्ष्मण सिंह रावत	सदस्य
(2)	श्री अशोक लाहोटी	सदस्य

2. आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्य इस अधिसूचना की तारीख से डेढ़ वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. आयोग सभी स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा:–

(क) ऐसे सिद्धान्त जिनसे निम्नलिखित शासित होंगे:

(i) राज्य द्वारा उदग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीस के शुद्ध आगमों का राज्य और सभी स्तरों पर पंचायतों के मध्य वितरण, जो संविधान के भाग–9 के अधीन उनके मध्य विभाजित किये जा सकेंगे और ऐसे आगमों का सभी स्तरों की पंचायतों के मध्य उनके अपने–अपने अंशों का आबंटन;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण, जो सभी स्तरों पर पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे; और

(iii) राज्य की संचित निधि में से सभी स्तरों पर की पंचायतों को सहायता अनुदान।

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपाय।

4. आयोग सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन भी करेगा और निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा:–

(क) ऐसे सिद्धान्त जिनसे निम्नलिखित शासित होंगे:–

(i) राज्य द्वारा उदग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और नगरपालिकाओं के मध्य वितरण, जो संविधान के भाग–9क के अधीन उनके मध्य विभाजित किये जा सकेंगे और ऐसे आगमों का सभी स्तरों की नगरपालिकाओं के मध्य उनके अपने–अपने अंशों का आबंटन;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण, जो नगरपालिकाओं को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे; और

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान।

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपाय।

5. आयोग स्थानीय सरकारों [पंचायतों (समस्त तीनों स्तरों पर) और नगरपालिकाओं] की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित के संबंध में भी अध्युपाय सुझायेगा:

(i) सेवाओं के प्रदाय की गति, दक्षता, लागत प्रभावशीलता की आवश्यकता के साथ बेहतर राज वित्तीय प्रबंधन के लिए अवसर;

(ii) स्थानीय सरकारों द्वारा सेवाओं के प्रदाय और मामलों के निस्तारण में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उन्नयन;

(iii) स्थानीय सरकारों से संबंधित ऑन–लाइन लेखा प्रणाली और उचित वित्तीय डाटा बेस तैयार करने के साथ एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली (IFMS) के साथ लिंकेज बनाना;

(iv) स्थानीय सरकारों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता प्राप्त करना;

(v) अभिनव रीतियों के साथ स्थानीय सरकारों द्वारा संगृहित करों और राजस्वों, और उपयोक्ता प्रभारों के युक्तिकरण पर विशेष बल के साथ स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार;

(vi) अन्य राज्यों में स्थानीय निकाय कर संरचना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों में स्रोतों के दोहन के लिए संभाव्य नये मार्ग;

(vii) स्थानीय सरकारों के स्वामित्व वाली और स्थानीय सरकारों को अंतरित की गयी परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण की गुणवत्ता को सुधारना;

(viii) स्थानीय सरकारों के वित्तीय प्रदर्शन की मॉनिटरिंग को सुधारना; और

(ix) स्थानीय सरकारों द्वारा पी.पी.पी. के माध्यम से अवसंरचना और अन्य नागरिक सुख–सुविधाओं के सृजन का साध्यता परीक्षण और सिफारिश करना।

6. आयोग, अपनी सिफारिशें करने में, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को भी ध्यान में रखेगा, अर्थात्:

(i) राज्य के वित्तीय संसाधन और उस पर मांग विशेषकर नागरिक प्रशासन, पुलिस और न्यायिक प्रशासन, शिक्षा, पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण, सामाजिक कल्याण, ऋण सेवा पर व्यय और अन्य प्रतिबद्ध व्यय या राज्य सरकार के दायित्वों के सम्बन्ध में और पूंजी लेखे पर राज्य की प्रतिबद्धता एवं राज्य सरकार की अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए राजस्व लेखे में पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करने की आवश्यकता;

(ii) स्थानीय सरकारों को उनके संसाधनों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन उपलब्ध अनुदानों का समायोजन;

(iii) स्थानीय सरकारों द्वारा उद्गृहीत करों और राजस्वों, और उपयोक्ता प्रभारों के पिछले पांच वर्षों के दौरान किये गये संग्रहण के स्तर के आधार पर 01.04.2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए स्थानीय सरकारों के राजस्व संसाधन;

(iv) पृथक–पृथक करों में अंश के स्थान पर राज्य की स्वयं की शुद्ध कर प्राप्तियों के आधार पर, स्थानीय सरकारों को राज्य सरकार से वित्तीय अंतरण; और

(v) ऐतिहासिक रूझानों के आधार पर पूर्वानुमान करने के बजाय व्यय के निर्धारण में नियामक दृष्टिकोण।

7. विभिन्न मामलों पर सिफारिशें करने में, आयोग ऐसे समस्त मामलों में, जहां जनसंख्या करों और शुल्कों और सहायता अनुदानों के न्यागमन के निर्धारण के लिए एक कारक के रूप में है, वहां 2011 जनगणना की जनसंख्या को अंगीकृत करेगा,

8. आयोग उन आधारों को उपदर्शित और उपलब्ध करवायेगा जिन पर उसके निष्कर्ष आधारित है तथा स्थानीय सरकारों के प्राप्तियों और व्यय के प्राक्कलन किया गया है।

9. आयोग, ऐसे उपान्तरणों के साथ जो आवश्यक हों, भारत सरकार के 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाये गये आदर्शों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।

10. आयोग अपने कार्यकाल की समाप्ति अथवा समाप्ति के पूर्व, एक अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों की कालावधि के लिए, उपर्युक्त प्रत्येक मामले पर, अपनी रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी में) उपलब्ध करवायेगा।

ह0
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान

12 अप्रेल, 2021, जयपुर।

क्र. प6(1)वित्त/विआएवंआमा/एसएफसी/2019 जयपुर,दिनांक: 12 अप्रेल, 2021

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त